"GREATER PARTICIPATION FOR A STRONGER DEMOCRACY" "सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता"	"कोई मतदाता छूटे नहीं" No voter to be left behind"

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के सभी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था प्राधिकार के लिए आम सूचना

भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट संख्या ECI/PN/23/2019 दिनांक 10.03.2019 के द्वारा लोक सभा निर्वाचन–2019 की घोषणा की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत कुल 1885 मतदान केन्द्र (जो 1133 भवनों में अवस्थित है) अधिसूचित है। मतदान केन्द्र के रूप में चिन्हित भवनों के प्राधिकारों को सूचित किया जाता है कि, वे, चिन्हित भवनों को अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के वगैर, लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति तक, किसी भी प्रकार से तोड़ने या ध्वस्त करने का कार्य ना करें।

यदि किसी प्राधिकार द्वारा ऐसा किया जाता है, तो सम्बन्धित प्राधिकार के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ह०/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः 486/जि.नि. जमशेदपुर, दिनांक : 18/03/2019

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को स्थानीय देनिक हिन्दी/अंग्रेजी समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, धालभुम/घाटशिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/ सभी विशेष पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.3.19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

मत डालना आपका अधिकार है, मतदाता बनें।